

No.1(37)/2010-EII(A)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 16th December,2010

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Applicability of General Financial Rules to autonomous bodies – regarding.

The undersigned is directed to state that the attention of this Ministry has been drawn to some newspaper reports regarding purported transfer of property by an autonomous organisation for private purposes in contravention of provisions of GFRs, 2005. In this connection reference is invited to this Department's O.M. No. 8(18)/EIIA/2010 dated 25/06/2010 regarding sale/grant/assignment/allocation/disposal of assets owned by Government or created out of Government funds in the light of provisions of Rule 28 and Rule 278 of GFRs 2005 and to OM of even number dated 02.11.2010 regarding **applicability of provisions of GFRs 2005 to autonomous organisations** (copies enclosed). It may be ensured that the above provisions are brought to the notice of the autonomous organisations under the control of your Ministry for strict compliance.


(R.Prem Anand)

Under Secretary to the Government of India

To

All Financial Advisers of the Government of India

सं. 1(37)/2010- ई. II (क)


भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: स्वायत्त निकायों के लिए सामान्य वित्तीय नियमों के लागू होने के संबंध में ।

मुझे इस मंत्रालय का ध्यान सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के प्रावधानों के विपरीत स्वायत्त संगठन द्वारा निजी प्रयोजनों हेतु संपत्ति के कथित हस्तांतरण के संबंध में अखबार में प्रकाशित समाचारों की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है। इस संबंध में सरकार के स्वामित्व वाली अथवा सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 28 तथा नियम 228 के प्रावधानों के आलोक में सरकारी निधि से सृजित परिसंपत्तियों की बिक्री/अनुदान/सुपुर्दगी/आबंटन/बेचे जाने से संबंधित इस विभाग के दिनांक 25.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 8 (18)/ई. II ए/ 2010 तथा स्वायत्त निकायों के लिए सामान्य वित्तीय नियमों के लागू होने के संबंध में दिनांक 02.11.2010 का समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन (प्रति संलग्न) देखें । उपर्युक्त प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उन्हें अपने मंत्रालय के नियंत्रणाधीन स्वायत्त संगठनों के ध्यान में लाया जाए ।



(आर. प्रेम आनंद)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी वित्तीय सलाहकार